सौर ऊर्जा नीति

उत्तर प्रदेश

2013

अनुक्रमणिका

1.	प्रस्तावना	–	1
2.	उद्देश्य	–	1
3.	संचालन अवधि	–	2
4.	ग्रिड संयोजित पावर प्लान्ट	–	2
	4.1 परियोजना क्षमता	–	2
	4.2 ऊर्जा का विक्रय	–	2
	4.3 थर्ड पार्टी को ऊर्जा विक्रय	–	3
	4.4 कैपटिव पावर प्लान्ट	–	3
	4.5 परियोजना कार्यान्वयन की समयावधि	–	3
	4.6 ग्रिड संयोजन एंव विद्युत निकासी के अवस्थापना व्यवस्था	–	4
	4.7 जीवाष्म ईधन के उपयोग पर प्रतिबन्ध	–	4
5	सोलर फार्म	–	4
6	राज्य औद्योगिक नीति,2012 के अन्तर्गत सुविधायें	–	4
7	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सुविधायें	–	4
8.	लक्षित क्षमता	–	4
9.	एकल विण्डो क्लीयरेन्स प्रणाली	–	5
10.	नोडल एजेन्सी की भूमिका	–	5
	10.1 परियोजनाओं की बिडिंग	–	5
	10.2 भूमि बैंक	–	5
	10.3 शासकीय भूमि/स्थान के लिये सुविधा	–	5
	10.4 अन्य अवस्थापना सहायता	–	6
	10.5 प्रशिक्षण	–	6
	10.6 वित्तीय व्यवस्था	–	6
11.	उच्च स्तरीय समिति	–	6
	11.1 बैठकों की आवृती	–	7
	11.2 उच्च स्तरीय समिति के कार्य	–	7
	11.2.1 बिडिंग की अनुमति	–	7
	11.2.2 थर्ड पार्टी बिक्रय परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन	–	7
	11.2.3 एकल खिडकी का अनुश्रवण	–	7
	11.2.4 समन्वय	–	7
	11.2.5 अन्य	–	7
	शब्दावली	–	8

1. प्रस्तावनाः–

विद्युत शक्ति और उसकी सुगम उपलब्धता, विकास का स्थापित बेंचमार्क है तथा चहुमुखी समृद्धि के लिए प्रारिम्भक आवश्यकता है। विद्युत के पर्याप्त और विश्वसनीय स्रोत की उपलब्धता के बिना कोई भी मुख्य क्रियाकलाप सम्भव नही है।

पारम्परिक ऊर्जा के स्रोतों का तेजी से ह्रास हो रहा है तथा इनके उपयोग से पर्यावरण प्रदूषित होने के बढ़ते हुये खतरे के दृष्टिगत प्रदेश सरकार के समक्ष ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के साथ, ऊर्जा सुरक्षा के लिए ऊर्जा मिश्रण में अपारम्परिक ऊर्जा स्रोतों की भागीदारी को बढ़ाना एक बड़ी चुनौती है।

उत्तर प्रदेश राज्य में सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा इसके दोहन की अपार सम्भावनायें है और उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में विद्युत की उपलब्धता हेतु इस स्रोत के दोहन के लिये सौर ऊर्जा से विद्युत परियोजनाओ ंकी स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। इस लक्ष्य की प्रप्ति के लिए एक व्यापक नीतिगत ढ़ांचे का होना नितांत आवश्यक है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति–2013 घोषित एवं अंगीकृत की जाती है जो निम्नवत् हैः–

2. उद्देश्यः–

1. राज्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के उत्पादन को सौर ऊर्जा के दोहन के माध्यम से बढ़ावा देना।
2. सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी निवेश की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण सृजन करना।
3. जन–साधारण में पर्यावरण जागरूकता का विस्तार करना।
4. बंजर भूमि के उत्पादक उपयोग में योगदान करना।
5. कौशल वृद्धि एवं रोजगार के अवसरों को सृजित करना।
6. स्थानीय विनिर्माण सुविधाओं को प्रोत्साहित करना।
7. राज्य में नई प्रौद्योगिकियों के उपयोग और प्रभावी प्रबन्धन के लिए क्षमता का विकास।

3. **संचालन अवधिः–**

यह सौर ऊर्जा नीति जारी होने की तिथि से 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी होगी। नीति के संचालन अवधि में स्थापित और कमीशन किये गये ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट ही इस नीति में प्राविधानित लाभ के पात्र होगें। भारत सरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले सोलर पावर प्लान्ट इस नीति में प्राविधानित लाभ के पात्र नही होगें।

4. **ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्टः–**

ग्रिड संयोजित सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना विकासकर्ता द्वारा चिन्हित एंव् क्रय की गयी उपयुक्त भूमि बैंक पर की जायेगी। सरकारी भूमि अथवा अन्य स्थल पर परियोजनाओं की स्थापना की दशा में पारदर्शी प्रक्रिया के द्वारा विकासकर्ता का चयन किया जायेगा।

4.1 **परियोजना क्षमताः–**

इस नीति के अन्तर्गत न्यूनतम् पांच मेगावाट क्षमता के सोलर पावर परियोजनायें स्थापित की जानी होगी।

4.2 **ऊर्जा का विक्रयः–**

नीति की संचालन अवधि में स्थापित एवं कमीशन किये जाने वाले सौर ऊर्जा ग्रिड संयोजित परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा का विक्रय उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, तीसरे पक्ष अथवा कैपटिव उपयोगार्थ किया जा सकता है।

सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की किसी राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) को विक्रय करने हेतु इच्छुक परियोजना विकासकर्ता द्वारा प्रस्तावित कुल मेगावाट क्षमता के लिये विकासकर्ता को आमंत्रित प्रतिर्स्पधात्मक बिडिंग में अनिवार्य रूप से भाग लेना होगा, बिडिंग में प्राप्त टैरिफ उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के अनुमोदन के अधीन होगा।

कुल क्षमता 200मेगावाट से अधिक की बिड प्राप्त होने की दशा में विकासकर्ता का चयन आरोही क्रम में न्यूनतम् कोटेड टैरिफ के आधार पर किया जायेगा। उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सफल बिडर के साथ 10 वर्ष का पावर क्रय अनुबन्ध(पीपीए) निष्पादित किया जायेगा।

आमंत्रित प्रतिर्स्पधात्मक बिडिगं के फलस्वरूप निष्पादित पीपीए में इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित एंवम् कमिशन्ड प्रथम 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट के टैरिफ जिस पर पीपीए हस्ताक्षरित किये जायेगें एंव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा केस–1 बिडिगं में प्राप्त टैरिफ के अन्तर को नोडल एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार से बजट मद ''सौर स्रोतों पर आधरित विद्युत उत्पादन की प्रोंत्साहन योजना'' में प्राप्त फण्ड से वहन किया जायेगा। इस योजना का पूर्ण क्रियान्वयन मुख्य सचिव स्तर पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी के पर्यवेक्षण में किया जायेगा तथा उच्च स्तरीय समिति योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करने हेतु निर्देश देने के लिए पूर्णतया सक्षम होगी।

4.3 **थर्ड पार्टी को ऊर्जा विक्रयः–**

सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट स्थापित करने में इच्छुक परियोजना विकासकर्ताओं द्वारा प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा के लिए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी (डिस्कॉम) से पी0पी0ए0 करने के स्थान पर थर्ड पार्टी विक्रय करने में इच्छुक होने की दशा में उनके द्वारा बिना निविदा में भाग लेते हुए सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की जा सकती है परन्तु भविष्य में भी उनको राजकीय वितरण कम्पनी के साथ पी0पी0ए0 करने की अनुमति नही होगी। ऐसे स्थापित किये जा रहे सोलर पावर प्लान्ट को इस नीति के अन्तर्गत क्लाज 4.2 में प्राविधानित प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्राविधनित प्रोत्साहन प्राप्ति के लिए नोडल एजेन्सी में पंजीकरण कराने के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित करना होगा तथा नीति में उल्लिखित परियोजना की समयावधि के अनुसार परफारमेन्स बैंक गारण्टी जो कि प्लान्ट कमिशनिंग तक की अवधि तक वैद्य होगी , उपलब्ध करायी जायेगी।

4.4 **कैपटिव पावर प्लान्टः–**

कैपटिव उपयोगार्थ 05 मेगावाट क्षमता एंव उससे अधिक क्षमता के विकासकर्ता के परिसर अथवा व्हिलिंग व्यवस्था के साथ परिसर से बाहर स्थापित सोलर पावर प्लान्ट को इस नीति के अन्तर्गत प्राविधानित प्रोत्साहन उपलब्ध होगें।

4.5 **परियोजना कार्यान्वयन की समयावधिः–**

सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना की कमिशनिंग की समय सीमा पी0पी0ए0 हस्ताक्षरित होने की तिथि से 13 माह होगी तथा सोलर थर्मल परियोजनाओं हेतु 28 माह होगी।

4.6 **<u>ग्रिड संयोजन एंव विद्युत निकासी के अवस्थापना व्यवस्था</u>**:–

सोलर पावर प्लान्ट के सबस्टेान/स्विचयार्ड से वितरण/पारेषण सिस्टम या ''फीड इन सबस्टेशन'' तक सम्बन्धित विद्युत निकासी सुविधा यूपीईआरसी के (ग्रान्ट आफ कनेक्टीविटी टू इन्ट्रा–स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम) रेगुलेशन 2010 अथवा समय–समय पर जारी संशोधन के अनुसार राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी/राज्य पारेषण कम्पनी ((डिस्कॉम/एसटीयू) के पारेषण सिस्टम से ग्रिड संयोजन प्राप्त करने का दायित्व परियोजना विकासकर्ता का होगा या ''फीड इन सबस्टेशन'' अर्थात इन्टरकनेक्शन प्वाइंट तक पारेषण लाईन का व्यय सोलर परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा। एस0टी0यू0 अथवा राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी जिसके भी अधिकार क्षेत्र में संबंधित ''फीड इन सबस्टेशन'' होगा, द्वारा पारेषण लाईन बिछाई जायेगी परन्तु पारेषण की कुल लाईन निर्माण लागत सहित, व्हिलिंग चार्जेज एवं हानि आदि परियोजना विकासकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा तथा एस0टी0यू0 अथवा राजकीय विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वहन नही किया जायेगा।

4.7 **<u>जीवाष्म ईधन के उपयोग पर प्रतिबन्धः–</u>**

सोलर थर्मल परियोजनाओं में कोई भी जीवाष्म ईधन अर्थात कोयला, गैस, लिग्नाईट, मिट्टी का तेल, लकड़ी के उपयोग की अनुमति नही होगी।

5 ऐसे सोलर फार्म जहां कई सौर ऊर्जा आधारित विद्युत उत्पादन सयंत्र एक स्थान पर लगे हो तथा कुल निवेश रू.500 करोड़ से अधिक हो उन पर राज्य सरकार द्वारा विशेष प्रोत्साहन देने की व्यवस्था केस टू केस के आधार पर की जायेगी।

6. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक नीति,2012 के अन्तर्गत प्राविधानित समस्त सुविधायें सौर ऊर्जा आधारित विद्युत इकाईयों पर भी लागू होगी।

7. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लगाई जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए पारेषण (ट्रांसमिशन) लाइन एंव सब स्टेशन के निर्माण पर व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

8. **<u>लक्षित क्षमता</u>**:–

वर्ष 2017 तक कुल 500मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना की प्राप्ति लक्षित है।

9. **एकल विण्डो क्लीयरेन्स प्रणाली**:–

समस्त सोलर पावर परियोजनाओं के लिए एकल विण्डों क्लीयरेन्स के रूप में नोडल एजेन्सी कार्य करेगी। नोडल एजेन्सी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि नीति से सम्बन्धित समस्त शासनादेश समयबद्व तरीके से सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी किये जाये। एकल विण्डों के रूप में नोडल एजेन्सी राज्य सरकार से आवश्यक अनुमति, अनापत्ति, अनुमोदन, सहमति आदि सुगम कराये जाने का मुख्य कार्य होगा। नोडल एजेन्सी द्वारा एकल विण्डों क्लीयरेन्स के कुछ कार्य आवश्यकतानुसार आऊटसोर्स किये जा सकते हैं। लम्बित अनुमतियों की समीक्षा समय–समय पर उच्च स्तरीय गठित समिति द्वारा की जायेगी।

10. नोडल एजेन्सी की भूमिका:

नीति के उद्देश्यों के अनुसार नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना विकासकर्ताओं की सहायता हेतु निम्न सुविधायें उपलब्ध करायी जायेगी:–

10.1 परियोजनाओं की बिडिंग

नोडल एजेन्सी द्वारा प्रदेश में सोलर पावर परियोजनाओं की बिडिंग से संबंधित सभी प्रक्रियाओं का सम्पादन किया जायेगा। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों द्वारा यदि अपनी उपलब्ध भूमि/स्थान पर सोलर पावर परियोजना स्थापित किये जाने का निर्णय लिया जाता है तो उक्त परियोजना की बिडिंग भी संबंधित विभाग के अनुरोध पर यूपीनेडा द्वारा सम्पादित की जायेगी। विभागों द्वारा फीजिबिल्टी रिर्पोट तैयार किये जाने एवं बिड प्रक्रिया प्रबन्धन से संबंधित लागत का वहन किया जायेगा। नोडल एजेन्सी द्वारा उक्त सुविधा प्रदान किये जाने के क्रम में अल्प सेवा शुल्क प्राप्त किया जा सकता है।

10.2 भूमि बैंक

उपयुक्त स्थानों पर भूमि बैंक के सृजन का चिन्हान्कन ।

10.3 शासकीय भूमि/स्थान के लिये सुविधा

राज्य सरकार या इसकी एजेनसियों के नियंत्रण में उपयुक्त भूमि/स्थानों के आवंटन की सुविधा।

10.4 अन्य अवस्थापना सहायता

राइट आफ वे,यदि कोई हो, जलापूर्ति एवं संबंधित अवस्थापना जैसे सड़क इत्यादि की व्यवस्था हेतु सहायता।

10.5 प्रशिक्षण

प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थानों के साथ गठबधन कर उपयुक्त मानव शक्ति कौशल का विकास ।

10.6 वित्तीय व्यवस्था

बजटीय मद ''सौर स्रोतों पर आधरित विद्युत उत्पादन की प्रोंत्साहन योजना'' के अन्तर्गत उपलब्ध फण्ड का उपयोग कार्यकलाप जैसे बिड प्रक्रिया प्रबन्धन हेतु परामर्शदाता को नियुक्त करने, एकल विण्डो प्रणाली हेतु आऊटसोर्सिगं एवं इस नीति के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले अन्य प्रोत्साहन या प्रदेश में सौर नीति के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित कार्यों में किया जायेगा।

11. उच्च स्तरीय समिति

इस नीति में उत्पन्न विभिन्न प्रकरणों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समाधान हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया जायेगा। समिति के निम्न सदस्य होगें:–

- मुख्य सचिव — अध्यक्ष
- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, वित — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, सिंचाई — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व — सदस्य
- सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा — सदस्य
- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीसीएल — सदस्य
- प्रबन्ध निदेशक, यूपीपीटीसीएल — सदस्य
- प्रबन्ध निदेशक, संबंधित डिस्काम — सदस्य
- निदेशक यूपीनेडा — सदस्य सचिव

11.1 बैठकों की आवृती

समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर एवं जब भी आवश्यक हो आयोजित की जायेगी।

11.2 उच्च स्तरीय समिति के कार्य

समिति द्वारा निम्न प्रकरणों पर विचार एवं निर्णय किया जायेगा ।

11.2.1 बिडिंग की अनुमति

सोलर पावर परियोजनाओं की कुल मेगावाट क्षमता के लिये प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान करना ।

11.2.2 थर्ड पार्टी बिक्रय परियोजना प्रस्तावों का अनुमोदन

इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ की इच्छुक सभी थर्ड पार्टी बिक्रय सोलर पावर परियोजनाओं को प्रोत्साहन हेतु पात्रता का अनुमोदन उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

11.2.3 एकल खिडकी का अनुश्रवण

एकल खिडकी प्रणाली के कार्यों का अनुश्रवण ।

11.2.4 समन्वय

समय समय पर आने वाले अन्य अर्न्तविभागीय प्रकरणों का समाधान ।

11.2.5 अन्य

अन्य कोई प्रासंगिक विषय ।

शब्दावली

1. 'सीईआरसी' का तात्पर्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग।
2. 'राज्य वितरण कम्पनी' का तात्पर्य राज्य स्वामित्व विद्युत वितरण कम्पनी यथा मध्यांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पूर्वांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, दक्षिणांचल विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड या कानपुर इलेक्ट्रीसिटी सप्लाई कम्पनी जो भी विशेष प्रकरण में लागू हो ।
3. 'सरकार' एवं 'प्रदेश' का तात्पर्य क्रमशः उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश राज्य ।
4. 'एमएनआरई' का तात्पर्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार ।
5. 'नोडल एजेन्सी' का तात्पर्य जैसा कि नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ग्रुप–1 टाईप परियोजनाओं के लिये उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) तथा ग्रुप–2 (पायलट) टाईप परियोजनाओं हेतु राज्य सिंचाई विभाग निर्दिष्ट किये गये हैं ।
6. 'पीपीए'का तात्पर्य पावर क्रय अनुबन्ध ।
7. 'राज्य पारेषण कम्पनी' का तात्पर्य राज्य स्वामित्व उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड।
8. 'यूपीईआरसी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग।

वित्तीय व्ययभारः–

क्र.सं.	विवरण	वित्तीय व्ययभार (रू. में)
1	अनुमानतः उत्पादित सोलर पावर ऊर्जा क्रय हेतु निर्धारित टैरिफ	रू.7.5प्रति यूनिट
2	पारम्परिक स्रोत से उत्पादित ऊर्जा क्रय हेतु अनुमानतः टैरिफ	रू.4.20प्रति यूनिट
3	सोलर पावर ऊर्जा क्रय करने में अतिरिक्त देय अनुमानतः टैरिफ	रू.3.30प्रति यूनिट
4	एक मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से वर्ष में उत्पादित अनुमानतः ऊर्जा	16.60लाख यूनिट
5	प्रति वर्ष 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा के क्रय पर अतिरिक्त व्ययभार	रू.10956.00लाख अथवा रू.109.56 करोड़
6	10 वर्ष के पीपीए निष्पादन पर 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा के क्रय पर अतिरिक्त व्ययभार	रू.109560.00लाख अथवा 1095.60करोड़

प्रदेश की प्रस्तावित सौर ऊर्जा नीति के प्रस्तर 4.2 में प्रथम स्थापित एंव कमिशन किये गये कुल प्रथम 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट के टैरिफ जिस पर पीपीए हस्ताक्षरित किये जायेगें एंव उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा केस–1 बिडिगं में प्राप्त टैरिफ के अन्तर की धनराशि को यूपीपीसीएल द्वारा परियोजना निवेशकों के साथ किये गये पावर क्रय अनुबन्ध के सापेक्ष भुगतान करने हेतु नोडल एजेन्सी द्वारा प्रोत्साहन धनराशि के रूप में यूपीपीसीएल को अंतरित किया जायेगा।

वर्ष 2006–07, 2007–08 एंव 2008–09 में पारम्परिक ऊर्जा स्रोत से पावर क्रय करने हेतु ए.आर.आर (एनुवल रेवन्यु रिक्वायरमेन्ट रिपोर्ट) के अनुसार बल्क सप्लाई टैरिफ क्रमशः रू.2.30प्रति यूनिट, रू.2.76प्रति यूनिट, रू.2.91प्रति यूनिट अनुमोदित था जिसके औसत वृद्वि के आधार पर वर्ष 2012–13 हेतु प्रोजेक्टेड बल्क सप्लाई टैरिफ रू.4.20प्रति यूनिट अनुमानित दर मानते हुए तथा यह अनुमानतः करते हुए कि प्रथम 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट हेतु रू.7.50प्रति यूनिट की दर क्रय हेतु प्राप्त होगी (सेन्ट्रल इलेक्ट्रीसिटी रेगुलेटरी कमीशन द्वारा वर्ष 2011–12 हेतु सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा को क्रय हेतु रू.10.96प्रति यूनिट का टैरिफ निश्चित किया गया) तो अन्तर की धनराशि रू.3.30प्रति यूनिट प्रति वर्ष मानते हुए प्रति मेगावाट रू.54.78लाख व्ययभार अनुमानित है जिसके आधार पर 200मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट से उत्पादित ऊर्जा क्रय करने पर कुल व्ययभार रू.109.56करोड़ तथा 10 वर्ष हेतु रू.1095.60 करोड़ का व्ययभार अनुमानित है।

इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा नीति में परियोजनायें प्रतिस्पार्धात्मक बिडिग के आधार पर आंवटित की जानी प्रस्तावित की गयी है । परियोजनाओ आंवटन की बिडिंग हेतु बिड डाकूमेन्ट तैयार करने एंव बिडिंग से संबधित समस्त कार्यो के सम्पादन के लिए अर्थात बिड प्रोसेस मैनेजमेन्ट सर्विसेज हेतु कन्सलटेन्सी फर्म/एजेन्सी को हायर किया जाना होगा जिस पर कुल रू.75.00लाख का व्ययभार अनुमानित है।

इस प्रकार से कुल रू.1096.35 करोड़ का व्ययभार प्रस्तावित सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन में अनुमानित है।